

# न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार सेडवा

नाम ..... राज. सा. क्र. नाम ..... डेराज ..... विप्राथी .....  
सरकार जरिये पटवारी ..... बाम.स.ना ..... श्री ..... डेराज .....  
हल्का ..... बा.ह.स.ना ..... वल्द ..... मोरी ..... जाति ..... जार .....  
निवासी ..... बा.ह.स.ना .....  
राजस्व मुकद्दमा नं. .... 03/2019 ..... निर्णय दिनांक ..... 10/10/19 .....

अन्तर्गत धारा 91 भू- राजस्व अधिनियम 1956

## आदेश

यह मामला पटवारी हल्का ..... बा.ह.स.ना ..... की रिपोर्ट पर दर्ज रजिस्टर किया गया।  
जिसके अनुसार अप्राथी ने सरकारी भूमि मौजा ..... बा.ह.स.ना ..... के ख.न. .... 87 ..... में रकबा 3.00 बीघा  
किस्म ..... मो.उ.घोरा ..... पर संवत् ..... 2018 ..... खरीफ में काश्त कब्जा कर अतिक्रमण किया है।  
अप्राथी को राज 0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिया गया। जो अप्राथी से  
तामिल हो चुका है अप्राथी उपस्थिति/अनुपस्थिति।

अप्राथी आखिर उसने उक्त विवाद आराजी पर अपना अतिक्रमण कर कब्जा काश्त करना स्वीकार  
किया। बावजूद नोटिस तामिल के अप्राथी अनुपस्थित रहा, अतः उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल  
मे लाई जाती है। अतः अप्राथी को विवादाग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किये जाने के आदेश  
दिये जाते हैं एवं उक्त आराजी की फसल को जब्त सरकार किया जाकर अप्राथी पर बतौर लगाया शस्ति के  
भूमि के वार्षिक लगान रूपये ..... 5.15 ..... का ..... 50 ..... गुणा रूपये ..... 9 .....  
अक्षरे ..... जो रूपये ..... आरोपित किये जाते हैं भू.अ. निरीक्षक हल्का ..... बा.ह.स.ना .....  
को आदेश दिये जाते कि वह उक्त भूमि पर जब्त शुदा फसल की नीलामी नियमानुसार कर गैर सायल को  
नाजायद कब्जा शुदा भूमि से बेदखल कर पालना 7 दिन मे पेश करे। जुर्माना की वसूली हेतू पटवारी हल्का  
एवं तहसील राजस्व लेखाकर सूचित हो।

पत्रावली बाद आदेश की पालना के दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक ..... 10/10/19 .....  
को सरे आम लिख कर सुनाया गया।

तहसीलदार सेडवा